उ0 प्र0 लेखपाल संवर्ग की समस्याओं के निस्तारण हेतु 06 सूत्रीय मांग के संबंध में उ0 प्र0 लेखपाल संघ के पदाधिकारियों के साथ मा0 अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03-05-2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

परिषद के उपस्थित अधिकारी का नाम

1– डा0 अनिल कुमार गुप्ता	अध्यक्ष, राजस्व परिषद,उ0प्र0।
2– श्री धीरज साहू	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उ0प्र0,लखनऊ।
3– श्री जगदीश प्रसाद	अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त।
4– श्री महेन्द्र सिंह	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।
5– श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।

लेखपाल संघ के उपस्थित पदाधिकारी का नाम

1– श्री राममूरत यादव	प्रदेश अध्यक्ष उ0प्र0 लेखपाल संघ।
2– श्री बृजेश श्रीवास्तव	महामंत्री उ0प्र0 लेखपाल संघ।
3– श्री विनोद कश्यप	प्रदेश कोषाध्यक्ष उ0प्र0 लेखपाल संघ।
4– श्री भूपेन्द्र सिंह	प्रदेश लेखा परीक्षक उ0प्र0 लेखपाल संघ।
5– श्री सुदेश कुमार	संगठन मंत्री उ0प्र0 लेखपाल संघ।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा निम्न मांगों के संबंध में एजेण्डा उपलब्ध कराया गया था।

1– ए0 सी0 पी0 विसंगति
2– वेतनमान उच्चीकरण
3– अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं पदनाम व नियुक्ति प्राधिकारी परिवर्तन
4– मण्डलीय कैडर व स्थानान्तरण नीति में संशोधन
5– पदोन्नति
6– पेंशन व्यवस्था

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की निम्न मांगों पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है –:

1–	लेखपाल संवर्ग की ए0सी0पी0 विसंगति को प्रथम ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे रू0 2400 को इग्नोर करते हुए ग्रेड पे रू0 2800 दिये जाने हेतु शीघ्र शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि वित्तीय स्तरोयन्न की व्यवस्था (ए0सी0पी0) लागू करने से पूर्व लेखपालों को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता था जबकि वर्तमान में अगला ग्रेड पे दिया जाता है अर्थात दिनांक 30–11–1994 से पूर्व नियुक्त लेखपाल 16 वर्ष की समान सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे रूपया 4200/–प्राप्त कर रहे हों किन्तु दिनांक 30–11–94 के बाद नियुक्ति लेखपाल द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में रूपया 2800/–प्राप्त कर रहे हैं।	वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन से अगले ग्रेड वेतन के रूप में कुल तीन वित्तीय स्तरोयन्न क्रमशः दस वर्ष, सोलह वर्ष एवं छब्बीस वर्ष की सेवा पर अनुमन्य है। लेखपाल का ग्रेड वेतन रूपया 2000/–है। अतः शासनादेश संख्या 3145 / 1–9–2013–रा0–9, दिनांक 14–1–13 द्वारा शासन ने यह अवगत कराया है कि दिनांक 01–12–2008 से पूर्व 14/24 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान की व्यवस्था थी तथा दिनांक 01–12–2008 से पदधारक को अगला ग्रेड वेतन ही अनुमन्य हो रहा है इसलिये लेखपाल पदधारक को प्रथम दस वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के फलस्वरूप वेतनबैण्ड